सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 9/2017

बउनवान

श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री पीरूलाल निवासी राजपुरा–वार्ड, बालाजी की छतरी के सामने, बारां। मेसर्स एम.एम.बी. स्वीट्स प्रताप चौक, बारां (मालिक एवं विक्रेता) **(अप्रार्थी)**

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51 एवं 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)

निर्णय दिनांक 23.02.2018

प्रकरण श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2016 को समय 03:40 पी.एम. पर मैसर्स एम.एम.बी. स्वीट्स, प्रताप चौक, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री पीरूलाल विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर प्रतिष्ठान पर **मिल्क केक (दूध, शक्कर एवं घी से निर्मित)** खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु करीब 6 किलोग्राम एक स्टील की ट्रे में रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर उक्त **मिल्क केक** का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म सं. 5 ए पर देते हुये 2 किलोग्राम **मिल्क केक (दूध, शक्कर एवं घी से निर्मित)** एक साफ स्वच्छ स्टील की ट्रे में अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रूप करके खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 600/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए 2 किलोग्राम **मिल्क केक (दूध, घी एवं शक्कर से निर्मित)** को चार बराबर भागों में साफ, सूखी एवं स्वच्छ कांच की शिशियों में डालकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फोरमेलीन डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर जोन–कोटा के चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी श्री रघुनाथ मीणा द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/46(4)/2016/246 दिनांक 20.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 49/CVS/FSSA/Kota/Act/2016/40 दिनांक 05.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया,

मिल्क केक (दूध, शक्कर एवं घी से निर्मित) अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/46(4)/2016/246 दिनांक 20.10.2016 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को धारा 46(4) के अन्तर्गत सूचित किया कि अगर वे उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आवेदन प्रारूप 8 के जरिये पुनः जांच हेतु अपील कर सकते हैं। नियत अवधि में कारोबारकर्ता द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किसर तथा सीधे बहस करना चाहा।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस **मिल्क केक (दूध, शक्कर एवं घी से निर्मित)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 **B.R.Reading of extracted fat at 40°c** का मानक 40.0 से 44.0 (Milk Fat) का है जिसके स्थान पर नमूना जांच हेतु लिये गये **मिल्क केक (दूध, शक्कर एवं घी से निर्मित)** का परिणाम 44.01 रहा है। जो कि लगभग निर्धारित सीमा में ही है। अप्रार्थी ने अपने कथन के प्रमाण स्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 10.10.2017 को लिये गये दूध बर्फी के सेम्पल की जांच रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की जिसमें बिन्दु संख्या का 7 का परिणाम 43.81 रहा है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, **मिल्क केक (दूध, शक्कर एवं घी से निर्मित)** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के तहत, अप्रार्थी को 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)